हिन्दुस्तान

सब्सिडी का एक पैकेज चुन सकेंगे उद्यमी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उद्यमियों के सामने निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी के तीन आकर्षक पैकेज तैयार किए हैं। यूपी में निवेश करने वाले उद्यमियों को इनमें से रियायत का एक पैकेज चुनना होगा। इनमें पहला कैपिटल सब्सिडी, दूसरा विकल्प राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति और तीसरा विकल्प उत्पादन आधारित रियायतों का है। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को बिना नीलामी के ही जमीन आवंटित होगी।

यूपी सरकार देश विदेश के निवेशकों को अपनी नई उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत यह नई सुविधा देने जा रही है। इसके अलावा भी तमाम सहूलियतें रखी हैं। नीति का मसौदा जारी कर दिया गया है। इसे जल्द कैबिनेट से पास कराया जाएगा।

नई नीति में 'पंप स्टोरेज' एवं 'निजी औद्योगिक पार्कों' के विकास के लिए निवेश के आकर्षण प्रस्ताव रखे गए हैं। यही नहीं तेजी से जमीन आवंटन के लिए फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन की प्रक्रिया चालू होगी। रोजगार बूस्टर की भी व्यवस्था है। स्वच्छ मैन्युफैक्चरिंग व सर्क्युलर अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षण पर खास फोकस है।

पूर्वांचल और बुंदेलखंड में 25% कैपिटल सब्सिडी

बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 20 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के निजी औद्योगिक पार्कों तथा मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में 30 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के निजी औद्योगिक पार्कों के विकासकर्ताओं के लिए सरकार बड़ी सहायता देगी। मध्यांचल एवं पश्चिमाचल में अधिकतम 240 करोड़ तथा बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में अधिकतम 245 करोड़ की सीमा के अधीन पात्र स्थाई पूंजी निवेश (भूमि लागत को छोड़कर) के 25 प्रतिशत की पूजीगत सब्सिडी दी जा सकेगी।

एफडीआई को प्रोत्साहन

सुपर मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाएं, 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वाली परियोजनाएं, फॉर्च्यून ग्लोबल कंपनियों को फास्ट ट्रैक आधार पर भूमि आवंटन होगा। लेकिन उन्हें अतिरिक्त रकम का भुगतान करना होगा।

> सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी निवेश के लिए उत्कृष्ट गंतव्य के रूप में स्थापित हो रहा है। सीएम ने एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी विजन निर्धारित किया है।
>
> **अरविंद कुमार**, आयुक्त, औद्योगिक विकास